कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक :–एफ–11/नीलामी/2017/ 1919 दिनांकः–22.02.2017

–:– दैनिक नीलामी कार्यक्रम –:–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर विकास न्यास,कोटा द्वारा न्यास की निम्न योजनाओं में निम्न प्रकार से आवासीय/व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी का कार्यक्रम रखा गया है। नीलामी न्यास नीलामी हाल में दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे तक की जावेगी। भूखण्डों की स्थिति एवं डिमार्केशन नीलामी तिथि को मौके पर प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक एवं नीलामी से एक दिन पूर्व सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क कर सकते है। बोलीदाताओं को नीलामी से पूर्व कालम संख्या 7 में अंकित धरोहर राशि के डी.डी./बैकर्स पे–आर्डर सचिव,नगर विकास न्यास,कोटा के नाम से बनवाकर नीलामी शाखा में जमा कराना होगा।

क. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड की संख्या	क्षैत्रफल वर्ग मीटर व वर्गफीट में	प्रारंभिक नीलामी दर वर्गफीट में	नीलामी तिथि	धरोहर राशि डी.डी /बैंकर्स चैक जो जमा कराना है	सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता एवं सहायक अभियंता का मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चाणक्यपुरी आवासीय योजना	136, 99–कॉर्नर	7.50×15=112.5 व.मी.=1210.5 व.फु. 6.50×15=97.50व.मी.=1049.10व.फु.	4300/–	06–03–17	2.00 लाख	श्री विमल माहेश्वरी 9460173564 श्री अशोक गोयल 9413350046
2.	उज्जवल विहार आवासीय भूखण्ड	F–6/1	27'6''×52' =1430 वर्गफीट	2500/–	08–03–17	2.00 लाख	श्री सागर मीणा 9928160887 श्री एल.सी.मटोरिया 8107620806
	सकतपुरा खसरा नं.239 बजरंगपुरा के पास आवासीय भूखण्ड	2	9.55×18.30 =174.765 वर्ग मीटर =1880.47 वर्गफीट	2000/–		2.00 लाख	श्रीमती नीलम व्यास 9587250588 श्री के.जी.नागर 9480178474
3.	श्रीनाथपुरम–सी आवा0 कम व्यव0 भूखण्ड	57 64, 66, 70	7.5×15=112.50 व.मी.=1210.50 व.फी.	7600/–	09–03–17	2.00 लाख	श्री नितिन नागर 9251030303 श्रीमती जे.आर वर्मा 9460173676
4.	ए.पी.जे.अब्दुल कलाम व्यवसायिक भूखण्ड (ख. नं. 357 पार्ट 358चन्द्रेसल)	2, 5, 7, 9	7.5×15=112.50 व.मी.=1210.50 व.फी.	1500/–	16–03–17	2.00 लाख	श्री सुरजमल मीणा 9694245391 श्री आर.के. लोधा 9460176474
5.	विवेकानन्द नगर आवासीय भूखण्ड	177 178 179	25.20+25.40× 9.0 = 227.7 वर्गमीटर /2 = 2450.052 व0फी0 25.40+25.80× 9.0 = 230.4 वर्गमीटर /2 = 2479.10 व0फी0 25.80+26.0× 9.0 = 233.10 वर्गमीटर /2 = 2508.156 व0फी0	5000/–	20–03–17	2.00 लाख	श्री विमल माहेश्वरी 9460173564 श्री अशोक गोयल 9413350046
6.	कैलाशपुरी मदाना आवासीय योजना	312, 313	3.5×8.50 = 29.75 वर्ग मीटर = 320.11 वर्गफीट	1100/–	22–03–17	2.00 लाख	श्री सूरजमल मीणा 9694245391 श्री आर.के.लोधा 9460176474
7.	श्रीनाथपुरम–ए (मीणा सामुदायिक भवन के पीछे) व्यवसायिक भूखण्ड	2, 4, 9–कॉ, 13–कॉ., 14–कॉ	3×3 = 9 व.मी. = 96.84 वर्गफीट	24000/–	23–03–17	2.00 लाख	श्री नितिन नागर 9251030303 श्रीमती जे.आर वर्मा 9460173676

✱ नीलामी की मुख्य शर्ते ✱

1. बोलीदाता स्वयं उपस्थित होगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी बोली में भाग लेने हेतु निर्धारित नीलामी प्रपत्र मय फोटो बोलीदाता का परिचय पत्र स्वयं के हस्ताक्षर से प्रमाणित कर प्रपत्र भरकर नीलामी हाल में धरोहर राशि के अतिरिक्त रू. 500/– रजिस्ट्रेशन राशि उसी दिन कार्यालय समय दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक जमा करवाकर टोकन प्राप्त करना होगा। बोलीदाता नीलामी हाल में 3:00 बजे तक आवश्यक रूप से उपस्थित होवे अन्यथा आपको अनुपस्थित मानकर आगामी कार्यवाही कर दी जावेगी। रजिस्ट्रेशन राशि रू. 500/– वापस देय नहीं होगी। बोलीदाता को पेनकार्ड की प्रति एवं स्वयं का पहचान पत्र नीलामी फार्म के साथ संलग्न करना होगा तथा मोबाईल नम्बर देना होगा। मोबाईल का उपयोग नीलामी समय तक बन्द रहेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि नीलामी के उपरान्त पत्र में नाम परिवर्तन हेतु निवेदन किया जाता है, जो संभव नहीं होता है। अतः नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति द्वारा आवेदन फार्म की पूर्ति पूर्ण रूप से सोच–समझ कर करे। इसके बाद में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।
2. धरोहर राशि के डी.डी./पे–ऑर्डर को किसी भी योजना में एक बार उपयोग में लिये जाने के पश्चात् अन्य नीलामी दिवस की योजनाओं में उपयोग नहीं लिया जा सकेगा।
3. एकल बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
4. किसी संस्था/कम्पनी फर्म की ओर से बोली लगाने वाला अधिकृत होने का अधिकृत–पत्र पेश करेगा जो नोटेरी द्वारा सत्यापित होगा। संस्था/कम्पनी फर्म के विधान की सत्यापित प्रति पेश करनी होगी।
5. कम्पनी संस्था द्वारा नीलामी में भाग लेने पर दूसरा व्यक्ति पदाधिकारी/कार्मिक ही होगा। किन्तु दो से अधिक व्यक्ति कम्पनी नहीं भेज सकेगी। पहला व्यक्ति अधिकृत व्यक्ति हो सकता है।
6. अमानत स्वरूप जमा किया गया ड्राफ्ट/पे–आर्डर नीलामी बोली की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न होने के बाद ही लोटाया जावेगा।
7. प्रथम बोली न्यूनतम दर से अधिक होगी। बोली छोडने अथवा नहीं छोडने का अधिकार मौके की नीलामी समिति को होगा।
8. बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष,नगर विकास न्यास,कोटा को प्राप्त है तथा उनकी स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में राशि जमा करानी होगी।
9. बोली समाप्त होने पर कुल राशि का 25 प्रतिशत भाग मौके पर जमा कराना होगा, शेष राशि अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के पश्चात् निर्धारित अवधि में जमा कराना होगा।
10. नीलामी किये जाने वाले आवासीय भूखण्डों में बोलीदाताओं द्वारा लगायी जाने वाली प्रत्येक बोली भूखण्ड आवासीय की रू. 10/– एवं व्यवसायिक की रू. 50/– प्रति वर्गफीट एवं निर्मित आवास/निर्मित दुकान की बोली 1000/– प्रति आवास/निर्मित दुकान से बढी हुई होने पर कम मान्य नहीं होगी।
11. मौके पर सम्पत्ति "जहां है जैसी है" के आधार पर साईज के अनुसार ही नीलामी की जावेगी जो भौतिक कब्जे के समय साईज से कम या ज्यादा हो सकती है। अधिक साईज होने पर अतिरिक्त राशि जमा करानी होगी तथा कम साईज होने पर राशि लोटा दी जावेगी। लीज राशि अलग से देय होगी।
12. किन्हीं अपरिहार्य कारणो से भूखण्ड का आवंटन पत्र/कब्जा पत्र जारी नहीं किये जाने की स्थिति में न्यास समान प्रकृति एवं आकृति का अन्य भूखण्ड उपलब्ध करा देगा अन्यथा राशि लोटा दी जावेगी।
13. निर्मित आवास/दुकानो की प्रत्येक बोली रू. 1000/– प्रति आवास/दुकान से कम बढी हुई मान्य नहीं होगी।
14. निर्मित दुकान/हाल पर छत का अधिकार नगर विकास न्यास,कोटा का होगा।
15. न्यास द्वारा भविष्य में पूर्ण रूप से चरणबद्ध तरीके से ई–ऑक्शन की प्रकिया लागू की जावेगी। अतः अधिक जानकारी के लिए नीलामी प्रकोष्ठ में सम्पर्क करें।
16. राज्य सरकार या न्यास द्वारा जो भी नियमानुसार शर्त लगाई जावेगी वह मान्य होगी।

सम्पर्क सूत्र:- Website :- www.uitkota.org

सचिव
नगर विकास न्यास,कोटा

क्र.पृ.ऊ.